T.S – 04/2012

17-10-2018 वादी एवं प्रतिवादी तथा प्रतिवादी बिहार सरकार की ओर से हाजरी दी गयी। वादी की ओर से दाखिल दिनांक 14.6.18 को आदेश 22 नियम 9 C.P.C साथ में 5 परिसीमा अधिनियम एवं आदेश 22 नियम 3 C.P.C के आवेदन दिनांक 03.10.19 को वादी द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। वादी ने अपने आवेदन दिनांक 03.10.19 में वर्णित किये कि प्रतिवादी जो ईशाक खां की मृत्यु 2014 ई0 में हो गया जिसका जानकारी गवाही के दौरान हुआ है। अपने पीछे मो0 इशमाईल खां, इसलाम खां, मो0 अयूब खां को छोड़कर मरे हैं। प्रतिवादी नं0 2 मो0 जेनुल खां की मृत्यु हो गयी है उसका नाम विलोपित करते हुये उसके वारिसान मो0 तजमुल, मो0 एमूल खां, मो0 रसीद खां, मो0 खुर्शीद उर्फ खुटिया, मो0 नईम खां उनके वारिसान का नाम जोड़ा जाय। प्रतिवादी न0 3 मो0 ईशााक खां की मृत्यु के पश्चात् पहली पत्नी से पुत्रगण हारूण खां, सईद खां, नूर खां, दूसरी पत्नी से हवीव खां, सोनू खां, वजीर खां, छोटू खां, मुस्ताक खां, मो0 दूंजो, मो0 सोनू खां है। उसी प्रकार प्रतिवादी न0 7 अरफान अली खां है जो वाद पत्र में अरफान अजी के जगह मो0 अली लिखा गया है जो मो0 अली पूत्र है इरफान अली का है जिसकी मृत्यु हो गया है। मृत्यु के पश्चात् क्रमशः शेख महमूद, शेख समसुद्धीन, शेख नासिर, शेख इजहार, मो0 अक्ख्तर, मो0 सोहिब, मृत कमरूद्धीन पुत्र है जो कि मरहुम है अपने पीछे एकमात्र मो0 शहबान को छोड़ गये हैं। अतः प्रतिवादी न0 1, 2, 3 एवं 7 का नाम मूल वाद में विलोपित करते हुये उनके वारिसान का नाम जोड़ने का आदेश पारित करने का प्रार्थना कियें। आवेदन पत्र पर प्रतिवादी द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल किया गया जिसमें विरोध प्रकट किये हैं।

अभिलेख एवं वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 14.6.18 एवं 3.10.19 को अवलोकन किया। वादी द्वारा विलम्ब माफी का आवेदन दाखिल किया गया तथा शपथ पत्र से समर्पित है। अतः ऐसे परिस्थिति में वादी का आवेदन दिनांक 14.6.18 एवं 3.10.19 को विलम्ब माफी आवेदन के आधार पर विलम्ब माफ करते हुए मो0 300/– रूपये Cost पर स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय प्रतिवादी नं0 1 से उसके वारिसान का नाम इसलाम खां को छोड़कार प्रतिवादी नं0 2 मो0 जैनूल खां का नाम विलोपित करते हुये

PTO

17.10.2018 उनके वारिसान का नाम जोड़े। प्रतिवादी न0 3 मो0 ईशाक खां का नाम विलोपित करते हुये उनके वारिसान में हारूण खां को छोड़कर जोड़े। प्रतिवादी नं0 7 मो0 अली का नाम विलोपित करते हुये उनके वारिसान मो0 शहबाज का नाम जोड़ें।

दिनांक को वादी Cost के रूपये जमा करे तथा प्रतिस्थापित प्रतिवादी के उपस्थिति हेतु तलवाना के साथ समान कर आपेक्षित दाखिल करे।

मुंसिफ

PTO